नियम 52 : संदाय वाउचर

धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (छ) में निर्दिष्ट संदाय वाउचर में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :–

(क) प्रदायकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है;

(ख) एक सतत क्रम संख्या, जिसमें एक या बहुल श्रृखंलाओं में 16 से अधिक कैरेक्टर नहीं होंगे, जिसमें वर्णमाला या अंकों या विशेष चिन्ह – हाइफन या डैस और स्लैस अंतर्विष्टहोंगे, जिन्हें क्रमशः ''–'' और ''/'' के रूप में और उनके किसी संयोजन के रूप में किसी वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा;

(ग) जारी करने की तारीख;

(घ) प्राप्तिकर्ता का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर;

(ड.) मालों या सेवाओं का विवरण;

(च) संदत्त रकम;

(छ) कर की दर (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर);

(ज) कराधेय मालों या सेवाओं के संबंध में कर की रकम (केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर);

(झ) अंतःराज्य व्यापार या वाणिज्य के प्रक्रम में प्रदाय की दशा में राज्य के नाम के साथ प्रदाय का स्थान और उसका कूट; और

(ञ) प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजीटल हस्ताक्षर।